मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग,
:: मंत्रालय ::

//आदेश//

क्रमांक एफ-16-18 /2017/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 17, जनवरी, 2018

दिनांक 01 जुलाई 2017 से सम्पूर्ण देश में नवीन कर व्यवस्था "गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स" (जीएसटी) लागू किये जाने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति,2014 अंतर्गत प्रदान की जा रही वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता तथा प्रवेशकर छूट सुविधा अप्रभावी होने से विभाग के आदेश क्रमांक एफ16-18/2013/बी-ग्यारह दिनांक 13.10.2017 के द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों के लिये "निवेश प्रोत्साहन सहायता" का प्रावधान किया गया है।

नीति के उपरोक्त संशोधन के पालन में एतद द्वारा, दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले वृहद उद्योगों को प्रावधानित सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है । उक्त आदेश की सीमा तक मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना,2014 संशोधित मानी जायेगी :-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता की प्रभावशीलता -

1.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ ऐसी वृहद औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध होगा जिन्होनें 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात एवं 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो। जिन इकाईयों द्वारा उनके प्रस्तावित निवेश का 75% निवेश निर्धारित अंतिम तिथि (31 मार्च, 2022) तक कर लिया जावेगा उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा प्रस्तावित सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि से 1 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा ।

1.2 ऐसी वृहद औद्योगिक इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने का विकल्प होगा जिन्होनें -

(अ) उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया हो

अथवा

जिन्हे निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति द्वारा सुविधाओं का कस्टमाइज पैकेज दिनांक 13.10.2017 के पूर्व स्वीकृत किया गया हो

अथवा

जिन्हे उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ लेने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी किया गया हो ।

तथा

(ब) जिन्होनें 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात एवं 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो।

1.3 दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली अन्य सभी इकाईयां उद्योग संवर्धन नीति 2014 अनुसार प्रावधानित सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार प्राप्त कर सकेंगी।

2. औद्योगिक इकाईयों से तात्पर्य निम्नानुसार होगा -

2.1 वृहद औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है ऐसी इकाई -

जिसके द्वारा एम.पी.ट्रायफेक में पृथक निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो एवं भारत शासन, उद्योग मंत्रालय से इस हेतु पृथक से आईएम पार्ट-ए एवं पार्ट-बी प्राप्त किया हो।

तथा

- जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी से नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त किया गया हो अथवा पृथक से विद्युत सब-मीटर स्थापित किया गया हो,

तथा

- एक ही परिसर में एक से अधिक इकाई होने की स्थिति में प्रत्येक इकाई भौतिक रूप से पृथक चिन्हित की जा सकती हो एवं प्रत्येक इकाई का उत्पाद भिन्न हो ।

तथा

- यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश रूपये 10.00 करोड़ से अधिक हो।

तथा

- जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

2.2 विद्यमान वृहद औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी इकाई से है जिसनें दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो या ऐसी नई वृहद

औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना की प्रभावशील अवधि (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022) में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन किया गया हो।

2.3 विद्यमान वृहद औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन से तात्पर्य है, इकाई द्वारा विद्यमान उत्पाद की क्षमता विस्तार अथवा नवीन उत्पाद के निर्माण हेतु पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये निवेश का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रूपये 10.00 करोड़) अथवा रूपये 50.00 करोड़ जो भी कम हो का यंत्र एवं संयंत्र में नवीन निवेश किया गया हो ।

तथा

अ. उक्त विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत इकाई द्वारा दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022 की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो ।

तथा

ब. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत एम.पी.ट्रायफेक में पृथक से निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया हो एवं भारत शासन, उद्योग मंत्रालय से इस हेतु पृथक से आईएम पार्ट-ए एवं पार्ट-बी प्राप्त किया हो।

तथा

स. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत स्थापित यंत्र एवं संयंत्र भौतिक रूप से पृथक चिन्हित किये जा सकते हों।

2.4 विद्यमान वृहद औद्योगिक इकाई के मूल वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 1 वर्ष पश्चात किया गया विस्तार अंतर्गत निवेश ही सुविधा हेतु मान्य किया जायेगा।

3. वृहद औद्योगिक इकाईयों (10 करोड से अधिक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश) को निवेश प्रोत्साहन सहायता का निर्धारण निम्नानुसार चार चरणों में किया जाता है -

3.1 वार्षिक निवेश प्रोत्साहन सहायता = वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता X वार्षिक उत्पादन गणक X वार्षिक रोजगार गणक X वार्षिक निर्यात गणक

3.2 मूल (Basic)निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

3.2.1. मूल (Basic) निवेश प्रोत्साहन सहायता

=IF(P&M>1500,150,MIN(IF(P&M<11,0.4*P&M,MIN(4+0.098*(P&M-10)+ P&M/(10.88)*MAX(1-P&M/1490,0)+7.2*(1-P&M/1500),0.4*P&M)),150))

3.2.2. खादय प्रसंस्करण उद्योगों के लिये मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता **=** 1.5 **X** (कंडिका 3.2.1 के आधार पर गणित राशि)।

3.2.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उद्योगों के लिये रू.150 करोड ही होगी अर्थात यदि कंडिका 3.2.1 तथा 3.2.2 की गणना का परिणाम रू.150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता रू.150 करोड़ ही देय योग्य होगी । सुलभ संदर्भ के लिये कंडिका 3.2.1 तथा 3.2.2 की गणना का परिणाम यंत्र एवं संयंत्र में निवेश के आधार पर परिशिष्ट-4 तथा 5 पर दर्शाया गया है।

3.2.4. वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता = मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता / 7

यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

3.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक -

<u>सकल आपूर्ति मूल्य गणक</u> = न्यूनतम (75%, वास्तविक सकल आपूर्ति / पूर्व वर्ष या वर्षो की उच्चतम सकल आपूर्ति) / 75%

<u>Gross Supply Value Multiple (GSM) = MIN(75%,AGS/PPYS)/75%</u>

Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)

Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)

3.3.1. अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "1" होगा ।

3.3.2. प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "1" होगा बशर्ते स्थापित क्षमता का कम-से-कम 40% उपयोग किया गया हो। स्थापित क्षमता का उत्पादन 40% से कम

होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपतिक रूप से "1" से कम रहेगा एवं तद्नुसार सहायता की गणना की जायेगी

3.3.3. आगामी वर्षो में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षो की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75% अथवा उससे अधिक होने पर गणक एक "1" मान्य किया जावेगा। सकल आपूर्ति राशि में 75% से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जावेगी।

3.3.4. विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुये उक्त के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

3.4 निर्यात आधारित गणक -

3.4.1. निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25% से 75% तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जावेगा।

निर्यात गणक = **यदि [निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य < 25%, 1, यदि {निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य < 75%, 1 + 0.2*(निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य - 25%)/50%, 1.2}]**

Export Multiple (EM) = IF [Export Value/Production Value < 25%, 1, IF {Export Value/Production Value < 75%, 1 + 0.2*(Export Value/Production Value - 25%)/50%, 1.2}]

निर्यात मूल्य = निर्यात का मूल्य रू. करोड में
उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रू. करोड में

3.4.2. यदि निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25% से कम होता है तो निर्यात गणक "1" होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 से 75% तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार "1" से "1.2" होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75% से अधिक होने पर भी निर्यात गणक "1.2" ही रहेगा।

3.5 रोजगार आधारित गणक -

3.5.1. इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में निवेश प्रोत्साहन सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जावेगा।

रोजगार गणक = **<u>अधिकतम [1,न्यूनतम{1.5,(1+(औसत रोजगार-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]</u>**

<u>Employment Multiple (EYM) = MAX[1,MIN{1.5,(1+(AE-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]</u>

समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समीक्षा वर्ष मे औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र = Σ(वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या) / 12

3.5.2. 100 कर्मचारियों की संख्या तक रोजगार गणक "1" होगा । 100 से 2,500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप से "1" से "1.5" तक वृद्धि होगी । 2,500 एवं अधिक कर्मचारियों के होने की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा "1.5" होगी ।

3.5.3. विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत रोजगार आधारित गणक को किसी भी स्थिति में ''1'' ही मान्य करते हुये निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना की जायेगी।

4. संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश -

4.1 संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (कंडिका 3.2.1 में उल्लेखित **P&M**) से अभिप्रेत है उद्योग द्वारा मुख्य उत्पादक मशीनों एवं उत्पादक इक्युपमेंट जैसे- टूल्स, जिक्स, डाइस, मोल्डस में किया गया निवेश,मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी एवं अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, ट्रांसफारमर, स्टोरेज टेंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)। पुराने संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश को सहायता हेतु गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

4.2 इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् तक प्लांट एवं मशीनरी में किये गए निवेश को निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना हेतु मान्य किया जावेगा ।

5. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से तात्पर्य है** कृषि/उद्यानिकी उत्पादों का प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुये) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुये उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थो के रूप में उपयोग किया जा सकता हो जैसे- खाने के लिये तैयार (Ready to Eat) अथवा पकाने के लिये तैयार (Ready to Cook) खाद्य पदार्थ, खाद्य एडिटिव्हस्,

प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद ।

6. निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया &

निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत निवेशक को व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में एम.पी. ट्रायफेक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे –

(i) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किये गये निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-6)।

(ii) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन इकाई हेतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन पूर्व यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश एवं विस्तार /डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में किये गये पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(iii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के प्रमाण स्वरूप भारत सरकार, औद्योगिक परियोजना सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त उद्यम ज्ञापन भाग-ए एवं भाग-बी, जिसमें उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता का उल्लेख हो ।

(iv) जीएसटी क्रमांक के संबंध में प्रमाण पत्र ।

(v) स्थापित विद्युत कनेक्शन का दिनांक एवं क्षमता के संबंध में संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी से किये गये अनुबंध की प्रति अथवा प्रथम विद्युत बिल।

(vi) इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र ।

(vii) इकाई का गठन भागीदार/कम्पनी होने पर भागीदार विलेख अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी का प्रमाण पत्र एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु संचालक मण्डल का निर्णय।

(viii) वर्ष में किया गया कुल उत्पादन एवं विक्रय मूल्य । यदि आवेदन आगामी वर्षो के क्लेम हेतु है तो पूर्वगामी सभी वर्षो के उत्पादन एवं विक्रय के आंकडे मूल्य सहित। तत्संबंध में जीएसटी रिटर्न की प्रति एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।

(ix) वर्ष में किया गया कुल निर्यात मात्रा एवं मूल्य ।

(x) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प ।

(xi) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रथम क्लेम हेतु आवेदन होने की स्थिति में)।

(xii) निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (परिशिष्ट-2)।

(xiii) वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण) वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति /वितरण पत्र।

7. निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया -

7.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता का निराकरण एम.पी.ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के माध्यम से किया जावेगा। एमपी ट्रायफेक द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

7.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति को समुचित विचारोपरांत यह अधिकार होगा कि वह निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करें। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृति आदेश समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

7.3 एम.पी.ट्रायफेक द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार स्वीकृति सह-वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

7.4 स्वीकृति आदेश में व्यावसायिक उत्पादन दिनांक तक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश तथा मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि एवं अवधि का भी उल्लेख होगा।

7.5 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत इकाई की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय म.प्र. ट्रायफेक द्वारा किया जायेगा।

8. निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (माह अक्टूबर,2017 तक संशोधित) अंतर्गत घोषित अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नीति अनुरूप होगी।

9. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र **(SEZ)** में स्थापित होने वाली इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता नही होगी ।

10. निवेश प्रोत्साहन सहायता को एम.पी.ट्रायफेक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से वितरित किया जा सकेगा ।

11. उद्योग संवर्धन नीति, 2014(माह अक्टूबर,2017 तक संशोधित) के परिशिष्ट-iv में शामिल उद्योग निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होगें।

12. वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता में संशोधन शिथिलीकरण, विसंगति दूर करने तथा प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अधिकृत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/1/18
(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
O/C उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-16-18 /2017 /बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 17, जनवरी, 2018

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

4/ उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
O/C उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

परिशिष्ट- 1

"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित)" अंतर्गत, इकाईयां जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2018 अथवा उसके पश्चात का हो, हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक,

म.प्र. ट्रायफेक ।

विषय:- "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित)" अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मैं/हम जिला ....(मध्यप्रदेश) में इकाई स्थापित/औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने का आशय रखते है।"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित)"अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई/औद्योगिक पार्क का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई/एजेन्सी/संस्था का नाम :

02. इकाई के गठन का प्रकार (स्वामित्विक/भागीदारी/कम्पनी)

03. योजना अंतर्गत अथवा इन्टीग्रेटेड इन्वेस्टर लाईफसाईकिल मेनेजमेंट सिस्टम(IILMS) अंतर्गत पंजीयन क्रमांक व दिनांक :

04. इकाई/औद्योगिक पार्क का स्थल :

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

05. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम.(पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) क्रमांक व दिनांक :

या

औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु म.प्र. ट्रायफेक द्वारा दी गई स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक

06. इकाई का प्रकार (नवीन अथवा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत किया गया नवीन निवेश) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक अथवा स्थापित इकाई द्वारा किये गये नवीन निवेश अंतर्गत विद्युत सब-मीटर का क्रमांक व दिनांक :

08. जीएसटी क्रमांक :

09. <u>औद्योगिक इकाई की स्थिति में</u>

(i) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए स्थायी पूंजी निवेश/यंत्र संयंत्र (यंत्र-संयंत्र में किये गये निवेश में भूमि,भवन/शेड में किया गया पूंजी निवेश शामिल नहीं होगा) में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

(iii) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

(iv) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :

(v) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ अंतर्गत नवीन निवेश होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ पश्चात)**
पूंजी निवेश (यंत्र-संयंत्र में) (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) ....(उत्पाद)....... (ii) ......(उत्पाद)....... (iii) ......(उत्पाद)....... (iv) ......(उत्पाद).......			

औद्योगिक पार्क की स्थिति में

(i) औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने (न्यूनतम 5 इकाईयां स्थापित होने पर) का दिनांक :

(ii) औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास में किये गए निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र) :

(iii) औद्योगिक पार्क की स्थिति में स्थापित इकाईयां (संख्या) :

10. चाही गई सहायता का विवरण :

(क) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-7)

(i) विकसित की गई अ़धोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने पर दिनांक 1अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात एवं इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) : (राशि लाख रूपये में)
सड़क निर्माण हेतु ....
विद्युतीकरण हेतु ....
जल अधोसंरचना हेतु............

(ख) औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास सहायता (नियम-8)

(i) औद्योगिक पार्कका क्षेत्रफल (एकड़ में) (क्षेत्रफल को प्रमाणितकरने वाले दस्तावेजसहित) :

(ii) औद्योगिक पार्क के स्वामी/लीज धारक का नाम (दस्तावेजसंलग्न) :

(iii) औद्योगिक पार्क में स्थापित उद्योगो के नाम - न्यूनतम पांच(स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) :

(iv) चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9)

(i) स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवंसुरक्षा संचालनालयका प्रमाण पत्र संलग्न) :

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि(प्रमाण पत्र संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(घ) अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन अंतर्गत सहायता (नियम-10)

(I) <u>इकाई की मातृ इकाई का</u>

(i) नाम :

(ii) स्थल का पता :

(iii) संगठन का प्रकार :

(iv) इकाई स्वामी/ भागीदार/ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

(v) भारत सरकार का आई.ई.एम./लायसेंस क्रमांक व दिनांक :

(vi)इकाई द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाला कच्चा माल व उत्पाद का विवरण :

(vii)इकाई को उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत प्राप्त सहायताएं :

(II) <u>विक्रेता इकाई</u>

(i) मातृ इकाई से भौतिक दूरी (किमी)

(ii) उत्पाद विक्रय का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	उत्पाद का नाम	उत्पादन	कुल विक्रय राशि (रू. में)	मातृ इकाई को किये गये विक्रय की राशि (रू. में)	मातृ इकाई को किये गये विक्रय का प्रतिशत

टीप :- दर्शित विक्रय के संबंध में मातृ इकाई द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग का दस्तावेज व अन्य कोई संबंधित दस्तावेज संलगन करें।

(च) प्रवेशकर मुक्ति सुविधा (नियम-11)

(i) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक (संबंधित देयक की प्रति संलग्न) :

(iii) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/पैकिंग मटेरियल के नाम एवं वार्षिक मात्रा :

क्र.	**नाम**	**वार्षिकमात्रा**

(vi) आवेदन दिनांक तक उत्पादन एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े :

वित्तीय वर्ष	**उत्पादन**	**विक्रय**

(छ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (नियम-12)

(i) क्या इकाई प्राथमिकता विकास खण्ड में स्थापित है ? यदि हां, तो विकास खण्ड का नाम (जिले सहित) :

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(iii) वित्तीय वर्ष ...... में राज्य शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि -(रूपये में) (दस्तावेज संलग्न) :

(iv) वित्तीय वर्ष ...... में इकाई के उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product)एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य पदार्थ-(Waste materials) की मात्रा एवं विक्रय की राशि (दस्तावेज संलग्न) :

(ज) टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु ब्याज अनुदान

(i) इकाई की गतिविधि का प्रकार (स्वतंत्र अथवा कम्पोजिट) :

(ii) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश :

(iii) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु स्वीकृत टर्म लोन :

(iv) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक का नाम :

(v) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत दिनांक को अनुमोदित पुनर्भुगतान सारिणी :

(vi) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र एवं ड्यू डिलीजेंस :

(झ) विद्युत शुल्क में छूट (नियम-13)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं) :

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

(ट) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-14)

(i) मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तवेज संलग्न) :

(ठ) कृषि/उद्यानिकी/डेरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चैन की स्थापना हेतु सहायता (वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु)

(i) कोल्ड चैन की स्थापना पर किये गये व्यय का मदवार विवरण (तत्संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र) :

(ड) स्टाम्प ड्यूटी सहायता (वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु)

(i) मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तको द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्थानांतरित भूमि हेतु भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क का विवरण :

(ढ) निवेश प्रोत्साहन सहायता

(i)	इकाई का प्रकार (खाद्य प्रसंस्करण अथवा अन्य)	:
(ii)	प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प	:
(iii)	प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक एवं प्रथम विक्रय दिनांक	:
(iv)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होने पर खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की अनुमति/अन्य वैधानिक अनुमतियां जो लागू हो का क्रमांक एवं दिनांक	:
(v)	क्लेम वर्ष में किया गया कुल उत्पादन मात्रा एवं मूल्य	:
(vi)	क्लेम वर्ष में किया गया कुल विक्रय मात्रा एवं मूल्य	:
(vii)	पूर्व वर्षो में किया गया उत्पादन एवं विक्रय मात्रा एवं मूल्य (यदि आवेदन प्रथम क्लेम के पश्चात आगामी वर्षो के क्लेम हेतु है)	:
(viii)	क्लेम वर्ष में किया गया निर्यात मात्रा एवं मूल्य	:
(ix)	क्लेम वर्ष में कुल रोजगार की संख्या	:
(x)	विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन इकाई हेतु विस्तार पूर्व स्थापित क्षमता का उत्पादन एवं विक्रय मात्रा एवं मूल्य	:

(xi) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षो में प्राप्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि (वर्षवार) :

कृपया "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014(माह अक्ट'बर 2017 तक संशोधित)" अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :- **आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति**

हस्ताक्षर

नाम..

पद..

(सील)

<u>नोट</u>- **जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

<u>**परिशिष्ट - 2**</u>

"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014"अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र

(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूं /करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा म.प्र. ट्रायफेक में "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014"अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक .... में दी गई जानकारी सत्य है ।
2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं है ।
3. विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई/औद्योगिक पार्क हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

   या

   स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियाँ आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

   या

   निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत स्थापित यंत्र एवं संयंत्र मूल्य...............का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है एवं भुगतान की गई राशि के विरूद्ध ही सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्थापित यंत्र एवं संयंत्र अच्छे गुणवत्ता के है।
4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूं/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/नियम में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।
5. मैं/हम इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात कम से कम 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखेंगे।
6. इकाई के नियमानुसार कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में सुविधा/सहायता राशि वापसी के लिये प्रमोटर उत्तरदायी रहेंगे।
7. हमारे द्वारा उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक समस्त वैधानिक सम्मतियां/अनुमतियां प्राप्त कर ली गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- ....

(सील)

परिशिष्ट-3

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

क्र.एमपीट्रायफेक/एसईलीपी/ **भोपाल, दिनांक**

//स्वीकृति सह वितरण आदेश//

राज्य स्तरीय साधिकार समिति की .....वीं बैठक दिनांक............में लिए गए निर्णय अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत इकाई मेसर्स...को वित्तीय वर्ष................हेतु रूपये..............की निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार विशिष्टियों एवं शर्तो अंतर्गत जारी की जाती है :-

1.	इकाई का नाम व पता	:	
2.	नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई	:	
3.	यदि विद्यमान इकाई है, तो प्रकार (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार)	:	
4.	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	:	
5.	पात्रता अवधि पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक)	:	
6.	देय सहायता राशि की दर (यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश के आधार पर)	:	
7.	क्लेम की गई सहायता राशि का वर्ष)	:	वित्तीय वर्ष .... हेतु
8.	निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत यंत्र एवं संयंत्र में मान्य निवेश	:	रू. ....करोड़
9.	कुल रोजगार	:	
10.	कुल निर्यात एवं कुल विक्रय में से निर्यात का प्रतिशत	:	
11.	वर्ष.............हेतु स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि	:	
12.	पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गई सहायता राशि	:	

13. कुल स्वीकृत सहायता राशि :

(II) निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्तकर्ता इकाई पर "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित)" अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें बंधनकारी होंगे।

(III) निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का वितरण, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में, इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(IV) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/जानकारी के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को भुगतान की गई सहायता राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रायफेक

पृ.क्र.एमपीट्रायफेक/एसईलीपी/ **भोपाल, दिनांक**

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ आयुक्त रोजगार, उद्योगएवं रोजगार संचालनालय, छठवां तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल।

3/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय भोपाल की ओर ई-भुगतान करने हेतु ।

4/ मुख्य महाप्रबंधक (फिस्कल इन्सेंटिव कक्ष), एम.पी.ट्रायफेक,भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत सहायता राशि रू..........................का भुगतान (निगम के पी.डी.अकाउंट से) मेसर्स...के पक्ष में निम्नानुसार करें :-

अनु क्रमांक	बैंक शाखा का नाम व पता	निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि	खाता क्रमांक	आईएफएससी कोड
1				
2				

3/ मेसर्स .... की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रायफेक

परिशिष्ट-4

खाद्य प्रसंस्करण से भिन्न उद्योगों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना

यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत
10.00	4.00	40.00%	360.00	68.86	19.13%
20.00	8.00	40.00%	370.00	70.26	18.99%
30.00	12.00	40.00%	380.00	71.65	18.86%
40.00	16.00	40.00%	390.00	73.03	18.72%
50.00	19.32	38.64%	400.00	74.39	18.60%
60.00	21.10	35.17%	410.00	75.74	18.47%
70.00	22.87	32.68%	420.00	77.08	18.35%
80.00	24.63	30.79%	430.00	78.41	18.23%
90.00	26.38	29.31%	440.00	79.72	18.12%
100.00	28.11	28.11%	450.00	81.02	18.01%
110.00	29.83	27.12%	460.00	82.31	17.89%
120.00	31.54	26.29%	470.00	83.59	17.79%
130.00	33.24	25.57%	480.00	84.85	17.68%
140.00	34.92	24.95%	490.00	86.11	17.57%
150.00	36.60	24.40%	500.00	87.35	17.47%
160.00	38.26	23.91%	550.00	93.36	16.98%
170.00	39.90	23.47%	600.00	99.07	16.51%

180.00	41.54	23.08%		650.00	104.47	16.07%
190.00	43.16	22.72%		700.00	109.56	15.65%
200.00	44.77	22.39%		750.00	114.35	15.25%
210.00	46.37	22.08%		800.00	118.82	14.85%
220.00	47.96	21.80%		850.00	122.99	14.47%
230.00	49.53	21.53%		900.00	126.84	14.09%
240.00	51.09	21.29%		950.00	130.39	13.73%
250.00	52.64	21.06%		1,000.00	133.63	13.36%
260.00	54.18	20.84%		1,050.00	136.56	13.01%
270.00	55.70	20.63%		1,100.00	139.19	12.65%
280.00	57.21	20.43%		1,150.00	141.50	12.30%
290.00	58.71	20.25%		1,200.00	143.51	11.96%
300.00	60.20	20.07%		1,250.00	145.21	11.62%
310.00	61.67	19.89%		1,300.00	146.60	11.28%
320.00	63.13	19.73%		1,350.00	147.68	10.94%
330.00	64.59	19.57%		1,400.00	148.45	10.60%
340.00	66.02	19.42%		1,450.00	148.92	10.27%
350.00	67.45	19.27%		1,500.00	150.00	10.00%

परिशिष्ट-5

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना

यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत
10.00	6.00	60.00%
20.00	12.00	60.00%
30.00	18.00	60.00%
40.00	24.00	60.00%
50.00	28.98	57.96%
60.00	31.66	52.76%
70.00	34.31	49.02%
80.00	36.95	46.19%
90.00	39.57	43.97%
100.00	42.17	42.17%
110.00	44.75	40.68%
120.00	47.32	39.43%
130.00	49.86	38.35%
140.00	52.39	37.42%
150.00	54.90	36.60%
160.00	57.39	35.87%
170.00	59.86	35.21%
180.00	62.31	34.62%

यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि (रू.करोड़ में)	निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत
420.00	115.62	27.53%
430.00	117.61	27.35%
440.00	119.58	27.18%
450.00	121.53	27.01%
460.00	123.47	26.84%
470.00	125.38	26.68%
480.00	127.28	26.52%
490.00	129.16	26.36%
500.00	131.02	26.20%
510.00	132.86	26.05%
520.00	134.69	25.90%
530.00	136.49	25.75%
540.00	138.28	25.61%
550.00	140.05	25.46%
560.00	141.80	25.32%
570.00	143.53	25.18%
580.00	145.24	25.04%
590.00	146.93	24.90%

190.00	64.74	34.08%	600.00	148.61	24.77%
200.00	67.16	33.58%	650.00	150.00	23.08%
210.00	69.56	33.12%	700.00	150.00	21.43%
220.00	71.93	32.70%	750.00	150.00	20.00%
230.00	74.29	32.30%	800.00	150.00	18.75%
240.00	76.64	31.93%	850.00	150.00	17.65%
250.00	78.96	31.58%	900.00	150.00	16.67%
260.00	81.26	31.26%	950.00	150.00	15.79%
270.00	83.55	30.94%	1,000.00	150.00	15.00%
280.00	85.82	30.65%	1,050.00	150.00	14.29%
290.00	88.07	30.37%	1,100.00	150.00	13.64%
300.00	90.30	30.10%	1,150.00	150.00	13.04%
310.00	92.51	29.84%	1,200.00	150.00	12.50%
320.00	94.70	29.59%	1,250.00	150.00	12.00%
330.00	96.88	29.36%	1,300.00	150.00	11.54%
340.00	99.03	29.13%	1,350.00	150.00	11.11%
350.00	101.17	28.91%	1,400.00	150.00	10.71%
360.00	103.29	28.69%	1,450.00	150.00	10.34%
370.00	105.39	28.48%	1,500.00	150.00	10.00%
380.00	107.48	28.28%			
390.00	109.54	28.09%			
400.00	111.58	27.90%			
410.00	113.61	27.71%			

Annexure-6

Chartered Accountant Certificate

We …………………………………………… hereby certify that M/s ………………………………………………… have acquired following new Plant & Machinery up to commencement of commercial production date……………….. at their unit situated at ……………….. for manufacturing of product (s) ………………………………….

Name of Plant & Machinery	Value
1. …………………………….	…………..
2. …………………………….	…………..
3. …………………………….	…………..
4. …………………………….	…………..

Above mentioned plant and machinery includes only main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould, GST and transportation charges paid on machinery.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that the aforesaid information is found to be true. We also certify that all the payment have been made against the above mentioned plant & Machinery and no credit is raised there against in the books of account of the unit. All the plant & machinery mentioned above is new and is in good condition.

Name………………………………..

Signature & Seal………………..

Membership No. ……………….

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure-6

Chartered Engineer Certificate

I have visited the plant site of M/s……………………………………………………………to inspect and verify installation of plant & machinery for manufacturing of …………………………………………………

This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at……………………………… All plant & machinery is commissioned and in running condition.

Description of machine

Name of Plant & Machinery	Value
1. ……………………………	…………..
2. ……………………………	…………..
3. ……………………………	…………..
4. ……………………………	…………..

- **Date of installation/commissioning…………………………………….**
- **Date of inspection………………………………………………………….**
- **All plant & machinery mentioned above is new…………………..**

This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Name……………………………….

Signature & Seal………………..

Membership No. ………………

Place:
Date:

Note: 1. above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.

2. it is to be clarified that plant & machinery means main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould, GST and transportation charges paid on machinery.